

सत्यमेव जयते


# INDIA NON JUDICIAL

## Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No.	: IN-UP08675486052315U
Certificate Issued Date	: 25-Jan-2022 12:23 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14168704/ SAHARANPUR SADAR/ UP-SHR
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1416870408126277247245U
Purchased by	: DEVENDER KUMAR NIM SO RAM SWAROOP NIM
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: NA
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: DEVENDER KUMAR NIM SO RAM SWAROOP NIM
Second Party	: NA
Stamp Duty Paid By	: DEVENDER KUMAR NIM SO RAM SWAROOP NIM
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 10 (Ten only)



प्ररूप 26  
(नियम 4क देखिए)



06 रामपुर मनिहारान.....निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) उत्तर  
विद्यान सभा (सदन का नाम) के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन  
पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

भाग-क

मैं देवेन्द्र कुमार सिंग पुत्र/पुत्री/पत्नी रामस्वरूप सिंग आयु 52 वर्ष  
जो 2/856 चन्द्रनगर सहारनपुर (डाक का पूरा पता लिखें) का/की  
निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर  
निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

- (1) मैं भारतीय जनता पार्टी ("राजनैतिक दल का नाम)द्वारा खडा किया गया अभ्यर्थी/  
"एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड रहा हूँ।  
( "जो लागू न हो उसे काट दें)  
(2) मेरा नाम 03 - सहारनपुर नगर (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम)  
में भाग संख्या 177 के कम सं० 309 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा/मेरे 9837024479 सम्पर्क दूरभाष संख्या/संख्याएं है/हैं और devenendra.672@gmail.com  
मेरा ईमेल पता (यदि कोई हो) है तथा मेरा/मेरे सोशल मीडिया खाता/खाते (यदि कोई हो) निम्नलिखित है/हैं।

- (ii) .....
- (iii) .....

(4) स्थाई लेखा संख्या(पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाईल करने की प्रास्थिति:-

क्र० सं०	नाम	पीएएन (स्थायी खाता संख्या)	वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाईल की गई है।	पिछले पांच वित्तीय वर्षों (31 मार्च को) के लिए आय-कर विवरणी में दर्शित कुल आय (रूपये में)
1	स्वयं	AAHPN3071H	2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18	(i) 21,94,590/- (ii) 14,89,590/- (iii) 13,15,596/- (iv) 4,73,443/- (v) 9,56,386/-

*Devenendra Singh*

2	प्रति / पत्नी सीमा निम्न	FQIPS7366J	2021-22 2020-21 2019-20	(i) 4,25,540/- (ii) 4,27,370/- (iii) 2,91,577/- (iv) शून्य (v) शून्य
3	हिन्दू अविभक्त कुटुंब (यदि अभ्यर्थी कर्ता या सहदायिक है)	लागू नहीं है	लागू नहीं होता	(i) शून्य (ii) शून्य (iii) शून्य (iv) शून्य (v) शून्य
4	आश्रित-1 कु० गरिमा	कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित नहीं हुआ है।	लागू नहीं होता	(i) शून्य (ii) शून्य (iii) शून्य (iv) शून्य (v) शून्य
5	आश्रित-2 अश्रितिक	कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित नहीं हुआ है।	लागू नहीं होता	(i) शून्य (ii) शून्य (iii) शून्य (iv) शून्य (v) शून्य
6	आश्रित-3.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) शून्य (ii) शून्य (iii) शून्य (iv) शून्य (v) शून्य

टिप्पण: स्थायी खाता संख्या (पैन) धारक के स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करना आज्ञापक होगा और कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) न होने की दशा में यह स्पष्ट रूप से कथन करना चाहिए कि "कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित नहीं हुआ है" ।

(5) लम्बित आपराधिक मामले

- (i) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।  
(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने 'लागू नहीं' होता है लिखें)

या

- (ii) मेरे विरुद्ध निम्नलिखित आपराधिक मामले लंबित हैं: लागू नहीं होता है  
(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित हैं तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें और नीचे की सारणी में सभी लंबित मामलों का ब्यौरे दें)



*(Signature)*

सारणी

(क)	संबद्ध पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ख)	न्यायालय के नाम के साथ मामला सं०.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ग)	अंतर्वलित संबद्ध अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की सं. दें अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा.....)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(घ)	अपराध का संक्षिप्त विवरण	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ङ)	क्या आरोप विरचित किए गए हैं (हां या नहीं का उल्लेख करें)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(च)	यदि उपर्युक्त मद (ङ) के सामने उत्तर हां है, तो वह तारीख दें, जिसको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(छ)	क्या कार्यवाहियों के विरुद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाईल किया गया है। (हां या नहीं का उल्लेख करें)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(6) दोषसिद्धि के मामले:-

- (i) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध नहीं किया गया है। (यदि अभ्यर्थी के दोषसिद्ध नहीं किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने लागू नहीं होता है, लिखें)

या

- (ii) मुझे नीचे वर्णित अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है: लागू नहीं होता है  
(यदि अभ्यर्थी के दोषसिद्ध किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें, और नीचे दी गई सारणी में ब्यौरे दें)

सारणी

(क)	मामला संख्यांक	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ख)	न्यायालय का नाम	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ग)	अंतर्वलित अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(घ)	धारा की सं. दें, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा .....	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

*Devendra Kumar*

(घ)	अपराधों का संक्षिप्त विवरण जिनके लिए दोषसिद्ध किया गया है	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ड)	दोषसिद्धि के आदेशों की तारीखें	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(च)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(छ)	क्या दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई है (हां या नहीं का उल्लेख करें)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ज)	यदि उपरोक्त मद (छ) का उत्तर हां है, तो अपील के ब्यौरे तथा वर्तमान प्रारिथिति दें	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(6क) मैंने, ऊपर पैरा (5) और (6) में दिए गए अनुसार मेरे विरुद्ध सभी लंबित आपराधिक मामलों की और दोषसिद्धि के सभी मामलों के बारे में अपने राजनीतिक दल को पूरी और अद्यतन सूचना दे दी है। (ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्हें यह मद लागू नहीं होती है, उपरोक्त पैरा 5(i) और पैरा 6(i) में की प्रविष्टियों को देखते हुए, स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता है, लिखना चाहिए)

टिप्पण:

1. ब्यौरे स्पष्ट रूप से और सुपाठ्य रूप से बड़े अक्षरों में प्रविष्ट किये जाने चाहिए।
2. प्रत्येक मद के मामले विभिन्न स्तंभों के अधीन प्रत्येक मामले के लिए ब्यौरे पृथक रूप से दिए जाए।
3. ब्यौरे विलोम कालानुक्रम में दिए जाने चाहिए, अर्थात् नवीनतम मामलों को पहले वर्णित किया जाए और अन्य मामलों के लिए तारीखों के क्रम में पीछे की ओर वर्णित किया जाए।
4. यदि अपेक्षित हो तो पृथक शीट जोड़ी जा सकती है।
5. अभ्यर्थी 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सभी सूचनाएं देने का उत्तरदायी होगा।
- (7) यह कि मैं, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे:

टिप्पण-1- संयुक्त विधानिका की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण-2- जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा/प्रदित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण-3- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4- "आश्रित" से अभ्यर्थी के माता-पिता, पुत्र, पुत्री या पति या पत्नी और अभ्यर्थी से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह रक्त द्वारा हो या विवाह द्वारा, अभिप्रेत है (हैं), जिसके आय के पृथक साधन नहीं हैं और जो अपने जीवनयापन के लिए अभ्यर्थी पर आश्रित है।

टिप्पण 5- प्रत्येक विनिधान के संबंध में रकम सहित ब्यौरे अलग-अलग रूप में दिए जाने हैं।

टिप्पण 6- ब्यौरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए।

टीकरण: इस टिप्पण के प्रयोजन के लिए "अपतट आस्तियों" पद से विदेशी बैंकों और किसी अन्य विदेशी गण या संस्था में सभी जमा राशियों या विनिधानों के ब्यौरे और विदेशों में सभी आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे प्रेत हैं :

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	प्रति या पत्नी सीमा निम्न	हिन्दू अविभक्त कुटुंब लागू नहीं होता	आश्रित-1 कुटुंबादि	आश्रित-2 अश्रितिक	आश्रित-3 लागू नहीं होता
(i)	हाथ में नकदी	60,000/-	50,000/-	लागू नहीं होता	5,000/-	1,000/-	लागू नहीं होता
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	1,200/- 2,5,155/- 3,1,9829/- 4,1,203,116/- 5,86,21,024/- 6,96,47,069/- 7,1,00,000/-	6,06360/-	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/ शेयरों तथा यूनितों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	S.B.3. 1,00,000/- 9000 1,00,000/-	शून्य	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/ अग्रेस और ऋणियों से अन्य प्राप्ति तथा रकम	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
(vi)	मोटर वाहन/वायुयान / याच/पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि कय करने का वर्ष और रकम)	2,00,000/- 3,00,000/- 12,00,000/-	शून्य	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता

(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	7 तौले सोना 3,00,000/-	10 तौले सोना 4,00,000/- चांदी 500 ग्राम 30,000/-	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	32 बीर रिजलवर 20,000/- 315 बीर राशिक 60,000/-	बन्दूक 2 बीर 15,000/-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ix)	सकल कुल मूल्य	22,30,000/-	11,01,360/-	लागू नहीं होता	5,000/-	1,000/-	लागू नहीं होता

ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या आपार्टमेंट का इस संरूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए

टिप्पण 3- ब्यौरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए।

क्र०सं०	विवरण	स्वयं	प्रति या पत्नि सीमा निम्न	हिन्दू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
					शु० गारिमा	अभिषेक	
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	ग्राम डगाक्षी तहसील ब्रादाबाद जिला हाथरस	ग्राम बनकपुर तहसील देवबंद ग्राम भैरानी दीपचन्द्रपुर	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	1.25 एकड़	2 एकड़	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
	क्या बिरासत में आई संपत्ति/है/हो या नहीं)	हाँ	नहीं	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
	अस्वाभिन्न प्रामाणिकता की दशा में कृषि की तिारीख	नहीं	सन 2016	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
	किस/किस समय भूमि की लागत (किस की दशा में)	नहीं	70,00,000/- 11,00,000/-	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	नहीं	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	25,00,000/-	90,00,000/-	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता

(ii)	गैर कृषि भूमि: अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	शून्य	शून्य	लागू नहीं है।	शून्य	शून्य	लागू नहीं है।
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	लागू नहीं है।	शून्य	शून्य	लागू नहीं है।
	क्या विरासत में मिली हुई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	लागू नहीं है।	शून्य	शून्य	लागू नहीं है।
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में कय की तारीख	शून्य	शून्य	लागू नहीं है।	शून्य	शून्य	लागू नहीं है।
	कय के समय भूमि की लागत (कय की दशा में)	शून्य	शून्य	लागू नहीं है।	शून्य	शून्य	लागू नहीं है।
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	लागू नहीं है।	शून्य	शून्य	लागू नहीं है।
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं है।	शून्य	शून्य	लागू नहीं है।
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) -अवस्थिति (अवस्थितियां) -सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	ग्राम मिल्क वजीउद्दीनपुर तहसील जिला सहारनपुर	शून्य	लागू नहीं है।	शून्य	शून्य	लागू नहीं है।
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	2900 वर्ग फुट	शून्य	लागू नहीं है।	शून्य	शून्य	लागू नहीं है।
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1800 वर्ग फुट	शून्य	लागू नहीं है।	शून्य	शून्य	लागू नहीं है।
	क्या विरासत में मिली हुई संपत्ति है (हां या नहीं)	हाँ	शून्य	लागू नहीं है।	शून्य	शून्य	लागू नहीं है।
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में कय की तारीख	शून्य	शून्य	लागू नहीं है।	शून्य	शून्य	लागू नहीं है।
	कय के समय भूमि की लागत (कय की दशा में)	शून्य	शून्य	लागू नहीं है।	शून्य	शून्य	लागू नहीं है।
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	लागू नहीं है।	शून्य	शून्य	लागू नहीं है।
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	250000/-	शून्य	लागू नहीं है।	शून्य	शून्य	लागू नहीं है।

1)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) - अवस्थिति (अवस्थितियां) - सर्वेक्षणसंख्या (संख्याएं)	श्री. चन्द्र अंगार जी. 202 अंगार सेक्टर 2 अंगार एन. पी. डी. का ग्राम क्षेत्र सेक्टर की रचना	शून्य	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1000 वर्ग फुट 1325 वर्ग फुट	शून्य	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1705 वर्ग फुट पूर्व निर्मित	शून्य	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
	क्या विरासत में मिली हुई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां नहीं पं. नं. 18 60,00,000/-	शून्य	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में कय की तारीख	2015 में कय मिली 2020 में कय	शून्य	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
	कय के समय भूमि की लागत (कय की दशा में)	70,00,000/- 45,00,000/-	शून्य	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य		लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
	अनुमानित वर्तमान मूल्य	20,00,000/-	शून्य	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
(V)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	पिता के नाम में कय का नाम लिखा है 20,00,000/- रु. 23,00,000/-	शून्य	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (V) का कुल वर्तमान बाजार मूल्य	27,300,000/-	90,00,000/-	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति देयताओं/देय राशि के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-  
(टिप्पण- कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक मद के समक्ष रकम के ब्यौरे का अलग-अलग विवरण दें)

क0सं0	विवरण	स्वयं	प्रति या पति सीमा निम्न	हिन्दू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) की ऋण या देय राशि बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	बैंक/वित्तीय संस्था आफ इंडिया 30,00,000/-	शून्य	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
	पूर्वोक्त/वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टियों, निकाय को ऋण या देय राशि नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
	कोई अन्य देयता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
	देयताओं का सकल योग	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता

(ii) सरकारी शोध्य: सरकारी आवास से संबंधित विभागों को शोध्य

क. क्या अभिसाक्षी वर्तमान निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पूर्व पिछले दस वर्ष के दौरान किसी समय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास के अधिभोग में है ?

ख. यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हां है तो निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत करें, अर्थात :-

(I) सरकारी आवास का पता:-  
आवास सं०-११, विधायक निवास-1  
ख०5 ख, वीरलशफा लखनऊ

(II) उपरोक्त सरकारी आवास के संबंध में, निम्नलिखित के मददे कोई शोध संदेय नहीं है:-

(क) भाटक,  
 (ख) विद्युत प्रभार,  
 (ग) जल प्रभार और  
 (घ) 12/01/2022 (तारीख) को टेलीफोन प्रभार

(तारीख उस मास से, जिसमें निर्वाचन अधिसूचित किया जाता है, पूर्व तीसरे मास की अंतिम तारीख या उसके पश्चात की कोई तारीख होनी चाहिए)

टिप्पण- उपरोक्त सरकारी आवास के लिए भाटक, विद्युत प्रभार, जल प्रभार और टेलीफोन प्रभार की बाबत संबंधित अभिकरणों का "बेबाकी प्रमाण पत्र" प्रस्तुत किया जाना चाहिए



(iii)	सरकारी परिवहन से संबंधित विभाग को शोध्य (जिसके अंतर्गत वायुयान और हेलीकॉप्टर भी हैं)	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
(iv)	आयकर शोध्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
		स्वयं	प्रति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
			स्त्री		अश्रित	अश्रित	

*(Handwritten signature)*

(v)	जीएसटी शोध	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
(vi)	नगर पालिका/संपत्ति पर शोध	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
(vii)	कोई अन्य शोध	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
(viii)	सभी सरकारी शोध का कुल योग	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
(ix)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादग्रस्त है, यदि ऐसा है तो उसमें अंतर्वलित रकम का और प्राधिकारी का, जिसके समक्ष यह लंबित है, उल्लेख करें।"	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे

(क) स्वयं..... ट्यापार

(ख) प्रति या पत्नी..... गृहणी

(9क) आय के स्रोतों के ब्यौरे-

(क) स्वयं..... ट्यापार

(ख) प्रति या पत्नी..... गृहणी

(ग) आश्रितों के आय के स्रोत, यदि कोई हों..... नहीं

(9ख) समुचित सरकार और किसी पब्लिक कम्पनी या कम्पनियों के साथ संविदाएं-

(क) अभ्यर्थी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे..... नहीं

(ख) पति या पत्नी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे..... नहीं

(ग) आश्रित द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे..... नहीं

(घ) हिंदू अविभक्त कुटुम्ब या न्यास, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित हितबद्ध हैं, द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे..... नहीं

(ङ) भागीदारी फर्मों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित भागीदार हैं..... नहीं

(च) प्राईवेट कम्पनियों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रितों का हिस्सा है..... नहीं

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है:-

बी. ए. (स्नातक) दिल्ली यूनिवर्सिटी


सन् 1999

(प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग ख

(11) . भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का सारांश

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु. देवेन्द्र कुमार मिश्र					
2	डाक का पूरा पता	रखी/856 चन्द्रनगर					
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	सहारनपुर					
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'निर्दलीय' लिखें)	06-सहारनपुर मसिहान					
5	लंबित आपराधिक मामलों की कुल संख्या	उत्तर प्रदेश					
6	ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें दोषसिद्ध ठहराया गया है।	भारतीय जनता पार्टी					
		शून्य					
		शून्य					
7	स्थायी लेखा संख्या (पैन)	वह वर्ष जिसके लिए आय-कर विवरणी फाइल की गई है।	कुल दर्शित आय				
	(क) अभ्यर्थी	AAHPN3071H	2021-22	21,94,590/-			
	(ख) प्रति या पत्नी श्रीमा मिश्र	FQIPS7366J	2021-22	4,25,540/-			
	(ग) हिंदू अविभक्त कुटुंब	लागू नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता			
	(घ) आश्रित कु. गरीमा अश्रित						
8	आस्तियों और दायित्वों (अपतट आस्तियों सहित) के रूपों में ब्यौरे						
	विवरण	स्वयं	प्रति या: पत्नी श्रीमा मिश्र	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1 कु. गरीमा	आश्रित-2 अश्रित	आश्रित-3
	कुल मूल्य	22,310,693/-	11,01,360/-	लागू नहीं होता	5,000/-	1,000/-	लागू नहीं होता
	स्थावर संपत्ति की कय कीमत	60,00,000/-	81,00,000/-	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता
	स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता



iii	निम्नलिखित का अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
(क) स्वार्जित आस्तियाँ (कुल मूल्य)	1,65,00,000/-	90,00,000/-	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	
(ख) विरासती आस्तियाँ (कुल मूल्य)	1,08,00,000/-	शून्य	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य	

देयताएं

i	सरकारी देय राशि (कुल)	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य
ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य

10 ऐसी देयताएं जो विवादाधीन हैं


i	सरकारी देय राशि (कुल)	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य
ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	शून्य	शून्य


11 उच्चतम शैक्षणिक अर्हता: बी.ए. (स्नातक) दिल्ली यूनिवर्सिटी सन् 1999  
(प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण रूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय, शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं, और इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तत्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि:-  
(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद संख्या 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।  
(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या देयता से भिन्न कोई आस्ति या देयता नहीं है।

आज तारीख 21/01/2022 को सत्यापित किया गया।

  
अभिसाक्षी



- टिप्पण: 1. शपथ पत्र, नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन अपराह्न 3.00 बजे तक दाखिल कर दिया जाना चाहिए।
- टिप्पण: 2. शपथ पत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
- टिप्पण: 3. सभी स्तम्भों को भरा जाना चाहिए और कोई भी स्तम्भ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में उपलब्ध करने के लिए कोई सूचना नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पण: 4. शपथ पत्र या तो टंकित या सुपाठ्य रूप से साफ-साफ लिखा होना चाहिए।
- टिप्पण: 5. शपथ पत्र का प्रत्येक पृष्ठ अभिसाक्षी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर ऐसे नोटरी या शपथ आयुक्त या मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष शपथ पत्र सत्यापित किया जाता है, की स्टांप होनी चाहिए।

(विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं0-एच-11019/04/2018-विधि-11 दिनांक 10.10.2018 और सं0-एच-11019/13/2016-विधायी 2 दिनांक 26.2.2019)



Identified By

